सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 20, गुरूवार, *शाके 1946*-जुलाई 11, *2024* *Asadha 20, Thursday, Saka 1946- July 11, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 05, 2024

संख्या:25/भू.अ./ज.स./2023/1255-1259:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजगढ फव्वारा सिंचाई पद्वति परियोजना की डिग्गीयों, पम्प हाउस एंव सोलर के लिए भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता राजगढ मध्यम सिंचाई खण्ड भवानीमण्डी को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन वृत झालावाड) होगे।

विवरण

अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	राजगढ़ फव्वारा सिंचाई पद्धति	राजगढ़	नाहरघट्टा	पचपहाड़	झालावाड़	भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत,
2		झीझनी	नाहरघट्टा			
3		मिश्रोली	मिश्रोली			

4	परियोजना	भवानीपुरा	आंकखेडी			झालावाड़
5		खारखेड़ा	भैंसानी			
6		निपानियाहाड़ा	भैंसानी			
7		आंकखेडी	आंकखेडी			
8		हडमत्या	आंकखेडी			
9		मोरड़ा	गुराडियाजोगा			
10		लोलड़ा	भैंसानी			
11		गुराडियाजोगा	गुराडियाजोगा			
12		देवरी	गुराडियाजोगा			
13		खारपा	कुण्डीखेडा			
14		सेमलीजस्सा	कुण्डीखेडा			
15		कुण्डीखेडा	कुण्डीखेडा			

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोंजना विकासकत्र्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता राजगढ़ मध्यम सिंचाई खण्ड भवानीमण्डी
	प्रस्तावित योंजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	राजगढ़ फव्वारा सिंचाई पद्धति परियोजना का निर्माण कार्य क्षेत्र तहसील पचपहाड जिला झालावाड है। इस योजना के अन्तर्गत कुल भूमि 72.9047 हेक्टेयर (निजी भूमि 14.5227 हेक्टे. सरकारी 58.3820 हेक्टे.) अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण

	(ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और / भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योंजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड़)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	हां
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियंता राजगढ़ मध्यम सिंचाई खण्ड भवानीमण्डी

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।